

कार्यालय,साधिक, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राधिक/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय जाप-

अधिन भारतीय ताकलोकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय ताकलीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं तो सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नदी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2759- STELLER INSTITUTE OF PHARMACY, VILLAGE- UDAYPUR MOHANLAL NEAR FARIDPUR BYPASS FARIDPUR, BAREILLY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आ०५०भी०टी०५०/ धी०सी०आ०५०	परिषद द्वारा सत्र 2022- द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमीदित
1	DIPLOMA IN PHARMACY	प्रवेश क्षमता 60	क्षमता 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आ०५०भी०टी०५०/धी०सी०आ०५० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एकट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशी का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीण पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.००/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.००/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.००/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और सदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का फूलिंघारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशी/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों,

आदेशी एवं निर्देशी का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निरेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लासन के विनियोग यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में भा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय की उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समवय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला शुल्क, ऊबालास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेंजिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक दस्तावेज सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित फाल्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अग्रिमतेज, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी आवाही होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की बाध्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के भौतिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(एक0आर0 खान)

सचिव

पृष्ठों- प्राचिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455.

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, STELLER INSTITUTE OF PHARMACY, VILLAGE- UDAYPUR MOHANLAL NEAR FARIDPUR BYPASS FARIDPUR, BAREILLY

(एक0आर0 खान)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्

उत्तर प्रदेश नवगति।

संख्या:- प्रशिक्षा/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संख्या: दिनांक: 09/08/2021

-कार्यालय ग्राप:-

अधिकारी भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/फार्मसी वाइनिसल अॅफ़ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा नीतिक सत्र 2021-22 हेतु दिजिटल सत्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने का उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उठाए लगानी से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08/08/2021 की परिषद कार्यालय में सम्बद्धता नीति की घेठक संघर्ष हुई। घेठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संबलित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने के लिए सम्मिलित अन्य सदृश पर विस्तार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का विवरण लिया गया।

सम्बद्धता नीति की बैठक में लिये गये नियमों के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उठा प्रठा नवगति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु नीति की अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अविष्ट प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2769-STEYLER INSTITUTE OF PHARMACY, UDAYPUR MOHANLALGANJ
BAREILLY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०००००५०/ पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2021- द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्रा प्र०आई०सी०००००५०/पी०सी०आई० परिषद द्वारा नियमित वी गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेंगी।
- ✓ संस्था उत्तम प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमधारी 1992, सोसेटर विनियमावली-2016 तथा इन नियमों एवं अटेंसी का अनुपालन करेंगी तथा शुल्क नियांरण नीति द्वारा नियमित शुल्क तीन वर्षीय दूसी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.००/- प्रतिवर्ष दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹० 45000.००/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अनियमित) हेतु ₹० 22500.००/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अनियमित छात्र/छात्राओं में शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर आमने द्वारा नीति द्वारा नियमित किये जाने वाले शास्त्रादेश प्रभावी होंगे, और तदनुगार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कीस नियांरण नीति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का मुनर्सियारण किया जाता है, तो फीस की नदीनतम दरे लागू होंगी।
- ✓ संस्था की (उठाए प्राविधिक शिक्षा नीतियां तथा उच्च नीतियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किए जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुसारिन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपूर्ण प्रवेश प्रवेश परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शोटों के रिकॉर्ड जान की स्थिति में उत्तम प्रदेश धारक के नियोगानुसार ही प्रवेश की वार्ताही ही जायेगी।

कार्यालय,
साधिक, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप /परिषद सम्बन्धी /2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

—कार्यालय झापे—

अद्वितीय भारतीय उक्तनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कार्यालय संगठन इष्टपा नई दिल्ली हाथ शैक्षिक वर्ष 2020-21 हेतु डिस्ट्रो मासिक उक्तनीकी शिक्षण नंतराजी को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उम्प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को जनवार्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उम्प्र० सखनऊ की अध्यात्मा में परिषद उत्तराखण्ड में बैठक उत्तराखण्ड हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आगेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/शाखागम/प्रवेश शामता पुर्वि लालित अन्व नदी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उत्ता को अनुकूल में सम्बद्धता समिति द्वी बैठक के मद-३ में डिस्ट्रो मासिक फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श वर्त निर्णय लिया गया:-

“निजी क्षेत्र में स्थापित डिस्ट्रो मासिक फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उम्प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश शामता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुकूल में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक 14-08-2020 को आहु सम्बद्धता समिति द्वी बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुकूल में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उम्प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निर्माणित शर्तों की अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश शामता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

क्रम संख्या	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अंकित प्रवेश शामता	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अंकित प्रवेश शामता
1	2759	स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ फार्मसी उत्तर नोडलस्टाट एन्ड एसोसिएटी	डिस्ट्रो मासिक फार्मसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पी०सी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्माणित की गयी शर्तों का पूर्णतः गतन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं 1982 द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद नियमानुसारी 1982, सोमस्टर विनियोगानी-2016 तथा अन्य नियमों एवं जाइशों के अनुसार उत्तराखण्ड में अस्ति विधायक समिति द्वारा निर्माणित शुल्क तीन लाख इक्की० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- अस्ति विधायक समिति द्वारा निर्माणित शुल्क तीन लाख इक्की० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 45,000.00/- अस्ति विधायक समिति द्वारा निर्माणित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त एवं अंतिमिति द्वारा/उत्तराखण्ड में शुल्क के अन्वय-समाप्त एवं

सत्त्वम् द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेह प्रभावी होंगे, और तदनुसार बायोपायी किया जाना आवश्यक होगा। फीस निवृत्ति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस वा मुनाफाप्रबंध किया जाता है, तो फीस की नवीनताएँ दर लग्न होंगी।

- ✓ तत्त्वम् को (ए०७० प्राधिक विज्ञा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विभिन्नप्रायसी-२००० वी शार्ट वा अनुपालन करना ठीक।
- ✓ संस्था ने तसुक्त प्रदेश परिषद द्वारा आवृत्ति छात्रों को ही प्रदेश दिया जाएगा। शीटों के लिए उन जाने की स्थिति ने उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशनानुसार ही प्रदेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आईएसी०टी०५०/१०सी०वा०५० से ज्ञानाची उपर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये वित्ती/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राधिक विज्ञा उ०७० तथा प्रदेश परिषद परिषद, उ०प्र० तथा प्राधिक विज्ञा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, अधिनियमों, अदेशों, नियमों का पत्रम् करने के लिये यात्रा होगी।
- ✓ इन्हीने इन फार्मेसी पाठ्यक्रम वी संस्थाएँ यदि पीजीआई नहीं दिल्ली रो अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो उन नवाच में उत्तर देशदायित्व संस्था का होना और विधिक उप से किसी वी नवाचाही ने लिए संस्था तथ्य उत्तरस्थानी होगी। प्राधिक विज्ञा परिषद, संसुख्त प्रदेश परिषद परिषद, प्राधिक विज्ञा निरेशालय एवं प्राधिक विज्ञा दिभाग उत्तर प्रदेश शासन में कोई बाद दायर किया जाता है तथा बायर चाई के संघ में भा. न्यायालय द्वारा किसी प्रशार की प्रतिपूर्ति संकेती आदेश निर्गत किया जाता है तो उत्तर प्रदेश संस्था वी करनी होगी।
- ✓ इन्होंने इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को तसुक्त प्रदेश परिषद परिषद, उत्तर प्रदेश लकड़ाक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रोवेन परेश्वा हेतु आउनिशियर डार्म भीने के पूर्ण पी०सी०वा०५० से अनुमोदन प्राप्त कर नियम वार्षिक बदलाव होगा अन्यथा उन्हें प्रोवेन की (आउनिशियर के माध्यम से अध्ययन संस्था रत्तर पर सीधे प्रदेश) जनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश करकार द्वारा प्रदेश हेतु निर्गत नवीनतम् अतर्कान नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को उपर वैबाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ दीने संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाप, साझा-सम्पादन, उपकरण, द्वारा किया जाने वाला शुल्क, घाजावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को वित्ती-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त कारोबार उपस्थिति करने के साथ ऐमी रोकने के सम्बन्ध में उत्तर आवश्यक बायोपायी सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ तत्त्वम् यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को भलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति वी संभव उपस्थिति कराये गये अधिकारी, नृपि-भवन, फार्मीशर, उपकरण इत्यादि वा यदि संस्था द्वारा किसी जन्म पाठ्यक्रम वी संभालने में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य लार्य के लिए कार नहीं है तो संस्थान संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने वी अनुरूपा की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता संतर्क का अनुपालन न किये जाने अध्ययन शार्ट वा सत्त्वम् किया जाने वी स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक बायोपायी वी जाएगी।

(आ० आर०का० रिक्त)
सचिव

पुरस्त्र०- प्राधिक/प्रशिक्षण सम्बद्धता/२०२०/ १९७२-३१४१

उद् दिनांक: १५-०९-२०२०

प्रतिलिपि:-प्रधानाचार्य/नियमक, स्टेलर हस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, उदयपुर, मोहनलाल गंगा, बरेली।

(आ० आर०का० रिक्त)
सचिव